

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 427/2022

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

रमनदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. बलदेव सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मनदीप कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सन्दीप कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. कर्मजीत कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

प्रतिवादी की ओर से

:- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

:- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 09.09.2024

वादी रमनदीप सिंह ने प्रतिवादीगण बलदेव सिंह वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 2 ता 4 वादी की बहिने है, जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 ए.एम.पी. के खाता सं. 78/87 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं लगातार --2

महायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादी के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. में प्राप्त कर ली। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नहीं रहा है। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से है:-

(क) वादी रमनदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

तहसील संगरिया के चक 13 ए.एम.पी. के खाता सं. 78/87 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.759 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 4 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 5 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 13 ए.एम.पी. के खाता सं. 78/87 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र. सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।


बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा माध्यम से सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 ए.एम.पी. के खाता सं. 78/87 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.759 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विरासतन साक्ष्य के तौर पर तहसील संगरिया के चक 13 ए.एम.पी. के खाता सं. 78/87 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की जमाबन्दी की प्रति पेश की। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--: क्रियात्मक आदेश :-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 ए.एम.पी. के खाता सं. 78/87 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.759 है। कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्तानुसार प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमज्जन किया जावे।  
नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं  
मुख्य कलेक्टर एवं  
उपअधीक्षक अधिकारी (राजस्व),  
संगरिया

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)  
प्रकरण सं. 427/2022

रमनदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. बलदेव सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मनदीप कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सन्दीप कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. कर्मजीत कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 09/09/2022

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते  
इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जागिन  
मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर  
हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी  
सं. 2 ता 4 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 ए.एम.  
पी. के खाता सं. 78/87 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.759 है. कृषि भूमि का  
वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्तानुसार प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजान  
किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद  
मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ..... निल ..... मुब्लिक ..... निल ..... बाबत् .....  
निल ..... खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख  
वसूलयाबी तक ..... को अदा करे।

बरसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 9/9/2022 को  
जारी किया जाता है।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),  
संगरिया  
संगरिया